संख्या-1176 /नौ-4-13-02नियम/2005

प्रेषक,

सी.बी.पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः: दिनांक 15 अप्रैल, 2013

विषयः- वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा संवर्ग के पदों के पुनर्विभाजन/समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-1254/नौ-4-10-2नियम/05, दिनांक 22.04.10 द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए विभिन्न श्रेणी के पदों का पदनाम, वेतनमान, संवर्गीय ढांचा, पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया तथा निकायवार पदों की संख्या निर्धारित की गई थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या- 2179/नौ-4-10-4ज/2010, दिनांक 14.07.2010 द्वारा नगर निगम सहारनपुर में राजस्व सेवा संवर्ग के कर निर्धारण अधिकारी के 02 पदों का सृजन किया गया। नगर निगम सहारनपुर में अधीक्षक का 01 पद पूर्व से ही सृजित था। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-326सी.एम./नौ-4-10-31ज/2010, दिनांक 16.09.10 द्वारा नगर निगम झांसी में अधीक्षक के 03 पद सृजित किये गये। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश के 13 नगर निगमों में कर निर्धारण अधिकारी के 26 पद तथा अधीक्षक के 76 पद सृजित हैं। उक्त शासनादेशों द्वारा प्रदेश के श्रेणी-1, 2 एवं श्रेणी-3 स्तर की नगर पालिका परिषदों के लिए अधीक्षक के कुल 106 पद सृजित हैं। उक्त नगर पालिका परिषदों में अधीक्षक के पदों का निकायवार वितरण नहीं किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-3373/नौ-4-10-2नियम/05, दिनांक 15.09.10 द्वारा प्रदेश के 12 नगर निगमों में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी तथा 27 नगर पालिका परिषदों में कर निर्धारण अधिकारी के पदों का वितरण/समायोजन किया गया था।

3. प्रदेश के नगर निगमों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में विद्यमान भारी अन्तर के दृष्टिगत नगर निगमों में राजस्व सेवा संवर्ग के पदों का उपरोक्त शासनादेशों द्वारा किया गया एक समान वितरण/समायोजन वर्तमान में प्रासांगिक नहीं रह गया है। अतः नगर निगम हित में उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व संवर्ग के नगर निगमों में सृजित कर निर्धारण अधिकारी एवं अधीक्षक के पदों का पुनर्वितरण /समायोजन निम्नवत् किया जाता है :-

क्रमांक	नगर निगम का नाम	कर निर्धारण अधिकारी के पदों की संख्या	अधीक्षक के पदों की संख्या
1	2	3	4
1	लखनऊ	04	12

	कानपुर	05	15
	गाजियाबाद	03	10
4	आगरा	02	06
5	मेरठ	02	06
6	वाराणसी	02	06
7	इलाहाबाद	02	06
8	बरेली	01	03
9	मुरादाबाद	01	03
10	अलीगढ़	01	03
11	झांसी	01	03
12	गोरखपुर	01	03
13	सहारनपुर	01	03
	योग	26	76

4. प्रदेश की सिटी बोर्ड/श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 स्तर की नगर पालिका परिषदों में प्रत्येक में अधीक्षक के 01-01 पद निर्धारित/आवंटित किये जाते है।

5. संदर्भगत शासनादेश दिनांक 22.04.10, 14.07.10, 15.09.10 एवं 16.09.10 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें।

भवदीय,

(सी.बी.पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या -1176 (1)/नौ-4-13-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
उप सचिव।